शीतलहरी से
उत्पन्न आपदा
अत्यावश्यक

पत्रांक 1प्रा0आ0–36 / 2011.....85...... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 15/1/13

विषयः **भीषण शीतलहर के मद्देनजर शीतलहर से बचाव के उपाय करने के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 4942 दिनांक 12.12.12

महाशय,

कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाय। उक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में वर्त्तमान में भीषण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिकांश जिलों का न्यूनतम् तापमान 5^0 सेल्सियस से कम हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा राज्य के गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर से बचाव हेतु किए गए प्रबधों की समीक्षा की गयी है एवं निदेश दिए गए हैं कि अलाव एवं कम्बल वितरण कार्यक्रम सघन रूप से चलाए जाएँ एवं उसका सतत् अनुश्रवण किए जॉय। अतएव शीतलहर से गरीब तथा निःसहायों को बचाने हेतु संदर्भित पत्र में दिए गए निदेशों का पालन करते हुए निम्न व्यवस्थाएँ अविलंब सुनिश्चित की जायः

1. **रैन वसेरों /अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्थाः–** रैन वसेरों (Night Shelters) में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के गरीब निःसहाय व्यक्तियों के रहने की समुचित व्यवस्था की जाय। जहॉ रैन वसेरे उपलब्ध न हो तो वहॉ जिले में उपलब्ध पॉलिथिन शीट्स, टेंट, तारपोलीन शीट्स का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण स्थली बनायी जाय। रैन वसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखे जांय। शरण स्थली से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

2. **कम्बल वितरणः–** फूटपाथ पर निवास करने वाले गरीब, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच कम्बल का पर्याप्त संख्या में वितरण किया जाय। कम्बल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जायेगी।

3. **अलाव की व्यवस्था**:– अलाव की व्यवस्था जिला मुख्यालय से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी / ग्रामीण स्थानों में की जाय। अलाव की व्यवस्था करते समय जिला पदाधिकारी के द्वारा यह ध्यान रखा जाय कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हों यथा धर्मशालाएं, अस्पताल परिसर, रैन बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल / बस स्टेशन, अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। अलाव के लिए चिन्हित स्थानों की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्र एवं मिडिया के माध्यम से कराया जाय।

4. **निरीक्षण एवं अनुश्रवण**:– जिला पदाधिकारी रैन बसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि जिला पदाधिकारी स्वयं एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समय–समय पर घूम–घूम कर अलावों के जलने का निरीक्षण करेंगे। शीतलहर से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन राज्य नियंत्रण कक्ष के फैक्स संख्या 0612–2217305 एवं प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के ईमेल– secy-disastermgmt-bih@nic.in पर प्रतिदिन संध्या 4.00 बजे तक अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5. **मीडिया के साथ समन्वयः**– जिला पदाधिकारी इस संबंध में अपने जिले में किए गए प्रबंधो की विस्तृत जानकारी प्रतिदिन स्थानीय मीडिया को देते रहेंगे।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 85 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/1/13

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही जिलों के भ्रमण के समय रैन बसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

E:\sitlahar nirdesh1.docx

ज्ञापांक 86 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/1/13

प्रतिलिपिः सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री के निदेशानुसार शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 85 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/1/13

प्रतिलिपिः सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री के निदेशानुसार नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु नगर निकायों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 85 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/1/13

प्रतिलिपिः मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 85 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/1/13

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

I:\sitlahar nirdesh.docx